


09/09/22

आप पताचली पेश हुई। कुलार्थ उपस्थित आये।  
वकील वादी ने पूर्व आदेशों का क्रिंक 06/11/2012  
अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के बाबत की मरम्मत खर्च  
प्रॉपर्टी को कोर्ट राशि 200 + रूपये पर स्वीकार नियो  
जाने की स्थिति में आदेशों तक कोर्ट अदायगी नहीं  
करने एवं क्रिंक 18/12/2012 से आप तक प्रतिवादी  
संख्या 01 के वारिसान की तलबी हेतु बार-बार अवसर,  
अन्तिम अवसर क्रिये जाने एवं क्रिंक 23/03/2018  
की प्रतिवादी संख्या 03 लोकप्राम के फौतगी बाबत सूचना  
होने पर भी वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के  
बाबत हर मरम्मत खर्च पेश करने हेतु भी बार-बार  
अवसर, अन्तिम अवसर, बार-बार अन्तिम अवसर  
क्रिये जाने उपरान्त भी आदेशों तक उस आदेशों की  
पालना नहीं क्रिये जाने एवं क्रिंक 21/12/2018 के आदेशानुसार  
भी उत्तानुसार पेश करने मरम्मत खर्च अन्तिम अवसर,  
आगामी नियत तिथि को अर्द्ध अदायगी अनुपालना में  
प्रकरण को खारिज करने की हिदायत के साथ अन्तिम अवसर  
क्रिये जाने के उपरान्त भी आदेशों तक बार-बार अवसर  
अन्तिम अवसर क्रिये जाने पर भी वादी ने उपरी  अनुसार  
प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान की तलबी, अदायगी कोर्ट  
प्रॉपर्टी 03 के बाबत पेश करने हर मरम्मत खर्च के  
आदेशों की पालना नहीं है जिस हेतु वकील प्रतिवादी को

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
जो इस हुकम  
में जारी

भारी उभर ही रहा है। बस: वादी के वाद को अपरोक्तानुसार  
सबकी वारिसान नही किये जाने व कोस्ट अदायगी नही  
किये जाने एवं प्र.स. 03 के वाकत के आदेशों की पालन  
नही किये जाने पर वादी के वाद को अदम अदायगी  
अनुपालना आदेश 9 नियम 5 के सहित खारिज किया  
जाता है। पत्रवली केसब शुमार होकर नम्बर से कम  
है, वाद तर्कमूलक जमा किया लेख भण्डार है। सुनाया  
गया।